P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-11* July- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गठबन्धन सरकारें तथा भारतीय संसदीय लोकतन्त्र

वेदकुमारी
कार्यवाहक प्राचार्या,
राजनीति विज्ञान विभाग,
वी0 वी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शामली

सारांश

भारतीय संविधान में संसदीय लोकतन्त्र की स्थापना करके एक ऐसे शासन तन्त्र की संस्तुति की गयी जिसमें बहुमत प्राप्त दल को सत्ता की बागडोर सौपी गयी तथा उसे संसद के प्रति सामूहिक रुप से उत्तरदायी बनाते हुये संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। भारतीय संसदीय व्यवस्था के इतिहास में 1967 तक का काल पं0 नेहरु तथा कांग्रेस के पूर्ण आधिपत्य का काल रहा तथा संसद को किसी भी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा। परन्तु 1969 में कांग्रेस के विभाजन ने राज्य व केन्द्र दोनों ही स्तरों पर अस्थिरता, जातीय समीकरण की आड़ में स्वलाभ प्राप्त करने की लालसा तथा कुछ नया कर दिखाने की ललक ने, अनेक छोटे छोटे स्थानीय एवं क्षेत्रीय दलों को जन्म दिया, जिससे 1969 से 1998 तक संसदीय लोकतन्त्र में उथल पुथल शुरु हो गयी, विभिन्न दलों द्वारा एक दूसरे से सम्पर्क शुरु कर दिया गया जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलने के कारण अस्थायित्व व गतिरोध उत्पन्न हो गये और यही से गठबन्धन की राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रस्तुत शोध पत्र में उन सभी परिस्थितियों का अवलोकन किया गया है जिसके कारण गठबन्धन की राजनीति का आरम्भ हुआ, तथा उसके क्या परिणाम रहें। निष्कर्ष रुप में गठबन्धन केवल एक राजनैतिक मजबूरी का परिणाम रहा। वास्तव में जनता का विश्वास पूर्ण बहुमत वाली स्थायी सरकार के गठन में रहा क्योंकि गठबन्धन ने जिन निहित स्वार्थों के तहत सत्ता का दुरुपयोग किया उसने विकास की यात्रा को वाधित किया तथा अराजकता तथा अस्थिरता को जन्म दिया। वर्तमान में भी पूर्ण रुप से गठबंन्धन को नकारा नहीं जा सकता क्योकि आज भी एन.डी.ए तथा यू.पी.ए घटक दलों का समूह है लेकिन यह चुनाव से पूर्व के गठबन्धन, चुनाव के बाद होने वाले गठनबन्धनों की तुलना में अधिक विश्वसनीय व स्थायी है। 2014 के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता वर्चस्व पुनः एक दल द्वारा नियन्त्रित बहुदलीय व्यवस्था की ओर ले जाने का संकेत है।

मुख्य शब्द : औचित्य पूर्ण, वैधता, संविदा, विघटन, आधिपत्य, बहुमत, गठबन्धन, अवरोध, उत्तरदायी, अवलोकन, जागरुकता

प्रस्तावना

विश्व के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जितनी भी शासन प्रणालियों की विवेचना की गयी हैं उसमें लोकतन्त्र सबसे अधिक व्यापक रुप में स्वीकृत शासन प्रणाली रही है क्योंकि यह सर्व विदित है कि तानाशाही व्यवस्था, खूनी क्रान्तियॉ अल्पकाल के लिए चमत्कारी तो हो सकती है, लेकिन स्थायी नही हो सकती, इसके विपरीत जनमत की शक्ति के आधार पर होने वाले सामाजिक परिवर्तनों की रफ्तार धीमी ही सही परन्तु स्थायी होती हैं। भारतीय संसदीय लोकतन्त्र अपने अनेक उतार–चढ़ाव के उपरान्त आज भी शान से जीवित हैं। 125 करोड़ की आबादी वाला देश जहॉ इतनी अधिक विविधताऐं पायी जाती हो, जहॉ निर्धनता, अशिक्षा, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि अनेक समस्याऐं हो, तथा आस पास के देशों में किसी न किसी रुप में तानाशाही की प्रकृति देखने को मिलती हो, वहॉ आज भी भारतीय शासन सत्ता के भाग्य का निर्णय मतदाता के वोटों के माध्यम से ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में संसदीय लोकतन्त्र को अपनाया गया जिसमें अनिवार्य रुप से मंत्रीमण्डलीय उत्तरदायित्व का सिद्धान्त अर्न्तनिहित है, जिसका तात्पर्य हैं कि मन्त्रीपरिषद् ऐसी स्थिति में ही अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसे लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त हो। अतः स्पष्ट है कि शासन सत्ता की डोर संसद में बहुमत दल के नेता के हाथों में सौपी जाती हैं, जिसमे प्रधानमंत्री की प्रमुखता होती है तथा वह अपनी मंत्रीपरिषद् सहित अपने समस्त कार्यो के लिये सामूहिक रुप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उपरोक्त व्यवस्था ही वास्तव में संविदा सरकारों की धारणा की जनक बिन्दु है। जब संघीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर विभिन्न राजनैतिक

दल एकल आधार पर साधारण बहुमत प्राप्त करने में विफल होते हैं तभी वैकल्पिक व्यवस्था की खोज के तहत गठबन्धन का जन्म होता है तथा मतदाता के सामने जो श्रेष्ठतम विकल्प होता है वह उसी का चयन करता है।

गठबन्धन की राजनीति न केवल मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता अपितु लोकतन्त्र की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये अनिवार्य है। वास्तविक प्रजातन्त्र एवं लोक कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व तथा उसकी समस्याओं की विवेचना होना तथा तदनुरुप उसका समाधान होना अति आवश्यक हैं। जिसके लिए इस प्रकार के गठबन्धनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह एक ऐसा मंच प्रदान करते है जिस पर जब सभी राजनैतिक दल क्षेत्रीय हितों और राष्ट्रीय हितों के बीच सामन्जस्य स्थापित नही कर पाते, तब गठबन्धन की राजनीति में छोटे छोटे दल अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं को उठा कर राष्ट्र की मुख्य धारा में उसकी उपस्थिति को बनायें रखने के लिए प्रयासरत् रहते है। वास्तविक प्रजातन्त्र एंव लोककल्याणकारी राज्य के अस्तित्व तथा उनकी समस्याओं की विवेचना होना एवम् तदुनरुप उनका समाधान होना अति आवश्यक है और यही स्थिति गठबंधन की आवश्यकता को जन्म देती है। वास्तव में यह एक वैचारिक समन्वय तथा समान सिद्धान्तों का एक ऐसा प्रतिरुप है जो जनता व सरकार के मध्य एक समन्वय का कार्य करता है।

भारत के संसदीय लोकतन्त्र के इतिहास में यह सर्वविदित है कि आजादी के प्रारम्भिक 30 वर्षो में कांग्रेस ने शासन सत्ता पर अपना एक छत्र वर्चस्व बनाये रखा, जिसके पीछे स्वतन्त्रता आन्दोलन में कांग्रेस द्वारा निभाई गयी भूमिका प्रमुख रखी तब तक गठबन्धन की सरकारों की कोई आवश्यकता नही पड़ी। परवर्त्ती काल में जब कांग्रेस दल की पकड़, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर पडने लगी तब गठबन्धन की राजनीति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाये तो प्रारम्भिक चरण में राजनैतिक दलों के गठबन्धन का उद्देश्य नकारात्मक था, जिसमें सिर्फ कांग्रेस को सत्ता से रोकना रहा इसीलिए इस समय इनके उद्देश्य में सैद्धान्तिक विचारधाराओं को ताक पर रखकर व्यवहारिकताओं एंव तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में सत्ता के लिये गठबन्धन को मजबूत करना था।

अध्ययन की आवश्यकता

भारतीय संसदीय लोकतन्त्र के इतिहास में 1969 से 1998 तक का काल ऐसा रहा, जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय दलीय व्यवस्था एक नई दिशा की ओर जा रही है, केन्द्र तथा राज्यों में भी संविदा सरकारों की स्थापना हुई, तथा जिस प्रकार से 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया, तब राजनैतिक टीकाकारों ने 'नवीन राजनैतिक ध्रुवीकरण' की ओर संकेत किया, परन्तु इस दिशा में आगे बढ़ने की बजाय, राजनैतिक दल विघटन व बिखराव की दिशा में आगे बढ़ने लगे, और पुनः धीरे–धीरे व्यवस्था एक दल द्वारा केन्द्रित बहुदलीय व्यवस्था की ओर मुड़ गयी, प्रश्न यह उठता है कि क्या भारतीय जनता ने बहुदलीय व द्विदलीय व्यवस्था को सैद्धान्तिक रुप से नकार दिया। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतन्त्र में संविदा सरकारें की भूमिका का अवलोकन कर यह जानना है, कि इस प्रकार की सरकारें क्या भारतीय लोकतन्त्र के लिये मील का पत्थर साबित हुई अथवा एक मजबूरी के रहते केवल उन्हें सहने के लिये देश को बाध्य होना पड़ा।

परिकल्पना

संसदीय लोकतंत्र में जब भी कोई परिवर्तन अथवा नई व्यवस्था जन्म लेती है तो स्वभविक रूप सें वह एक गहन विचार विमर्श आलोचना एवं समालोचना को आंमत्रित करती है। गठबन्धन की सरकारे भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाई अथवा सत्ता की महत्वकांक्षा व अवसरवादिता तक ही सीमित रही। जिसके कारण भारतीय जनमानस की स्वीकृति नहीं मिली।

अनुसन्धान कार्य पद्धति

शोधपत्र के लेखन में द्वितीय श्रोतों से विषय वस्तु तथा आंकडे लिये गये है जिसके वर्णात्मक पद्धति को आधार मानते हुये विषय को स्पष्ट करने हेतु विशलेष्णात्मक, व्याख्यात्मक एवं मूल्यांकन पद्धति को आधार बनाया गया है।

संयुक्त गठबन्धन सरकारों के विभिन्न प्रारुप

प्रथम प्रारुप में चुनावों से पूर्व गठबन्धन के अन्तर्गत शामिल विभिन्न दल आपसी मतभेदों के रहते हुये भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दो पर आपसी सहमति बनाते है तथा साझा कार्यक्रम की घोषणा करते है। इस प्रकार के गठबन्धन को एक अस्थायी प्रबन्धन कहा जा सकता है जो वास्तव में कुछ परिस्थितियों में सत्ता से जुड़कर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है परन्तु आन्तरिक रुप से प्रत्येक घटक अपनी शक्ति में वृद्धि करते हुए सत्ता की दौड़ में आगे निकलने का प्रयास करते रहता है। कांग्रेस द्वारा 2004 के चुनावों में किया जाने वाला गठबन्धन इसी अवधारणा पर आधारित था।

द्वितीय प्रारूप में गठबन्धन, चुनावों में जब किसी भी दल को सरकार बनाने के अनुरुप बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सरकार बनाने के लिये विभिन्न दल विचार धाराओं एवं सिद्धान्तों में मतभेद के बावजूद भी एक मंच पर समवेत स्वर में खड़े दिखाये देते है, जिसमें सत्ता की सौदेबाजी के रहते बाहरी रुप से गठबन्धन के धर्म को निभाने का अभिनय किया जाता है, परन्तु अन्दरूनी रूप से प्रतिस्पर्धा की कसक अपना एक पृथक अस्तित्व बनाने के लिये निरन्तर प्रेरित करती रहती है। वर्तमान बिहार विधान सभा में आर0जे0डी0 एवं जे0डी0यू0 के गठबन्धन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है।

तृतीय प्रारूप के गठबन्धन मे दो परस्पर विरोधी विचार धारा रखने वाले खण्डित जनादेश में सरकार बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें परस्पर विरोध का स्वर भी रहता है लेकिन राष्ट्र–धर्म को निभाने तथा सरकार में बने रहने की इच्छा भी प्रबल रहती है, इस बात का भय बना रहता है कि गठबन्धन के टूटने पर सत्ता से बाहर के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही है। जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र राज्यों की गठबन्धन की वर्तमान सरकारें इसका उदाहरण कही जा सकती है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-11* July- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

चतुर्थ प्रारूप के गठबन्धन के अन्तर्गत एक राजनैतिक दल की प्रधानता होती है तथा छोटे–छोटे दल सरकार की कार्य पद्धति को प्रभावित तो करते है, लेकिन नियन्त्रित नही कर पाते क्योकि उनके बने रहने अथवा पृथक होने दोनों ही स्थिति में सरकार के अस्तित्व को कोई खतरा नही होता। 1981 से 1998 तक पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में चलने वाला गठबन्धन इस श्रेणी में आता है।

पंचम प्रारूप के गठबन्धन में कुछ दल आपस में मिलकर अपने शक्तिशाली विरोधी दल को सत्ता से दूर रखने के लिये, आपसी मतभेदों के होते हुये भी गठबन्धन की राजनीति को अपनाते है। 1977 में कांग्रेस के विरुद्व जनता पार्टी का गठन, 16 मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी विपक्षी दलों की एक जुटता तथा वर्तमान में पुनः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के विरोध में महागंठबन्धन की तैयारी इसी दिशा में किये जाने वाले प्रयास है।

1977 से 2004 तक चुनावों में गठबन्धन सरकारों की दलीय स्थिति

		प्रथम				द्वितीय			तृतीय		
वर्ष	चुनाव	दल	कुलसीट	प्राप्तसीट	प्रतिशत	दल	सीट	प्रतिशत	पार्टी	सीट	प्रतिशत
1977	6 लोकसभा	BLD	542	295	41.32	INC	154	34.52	CPM	22	4.29
1989	9 लोकसभा	INC	529	197	39.53	JD	143	17.79	BJP	85	11.36
1991	10लोकसभा	INC	521	232	36.26	BJP	120	20.11	JD	59	11.84
1996	11लोकसभा	BJP	543	161	20.29	INC	140	28.80	JD	46	23.45
1998	12लोकसभा	BJP	545	182	25.59	INC	141	25.82	CPM	32	5.16
1999	13लोकसभा	BJP	545	182	23.75	BJP	114	28.30	CPM	33	5.40
2004	14लोकसभा	INC	543	145	26.53	BJP	138	22.16	CPM	43	5.66

1964 तक भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री पंड़ित नेहरु ने संगठन शासन तथा सत्ता पर एकाधिकार स्थापित किया परन्तु नेहरु जी की मृत्यु के उपरान्त कांग्रेस में नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया। श्री कामराज, श्री मोराराजी देसाई, श्री निजिलिंगप्पा आदि की समानान्तर नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा ने कांग्रेस को दुविधा में डाल दिया सभी के मध्य एक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से एंव नेहरु जी की लोकप्रियता को भुनाने के लिये उनकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को कांग्रेस की कमान सौपी गयी, लेकिन 1969 में आपसी मतभेदों के रहते कांग्रेस दो गुटो में विभाजित हो गयी, कांग्रेस 'ओ' तथा कांग्रेस 'इ'। परिणामस्वरुप 1967 के चतुर्थ आम चुनावों तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, पंजाब और उड़ीसा में कांग्रेस की हार हुई, तथा चुनाव के उपरान्त हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश में दल बदल के कारण कांग्रेस का पतन होना आरम्भ हो गया। 1969 में लगभग आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आयी। केन्द्र में 1969 में जब श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में आ गयी, तब भारतीय साम्यवादी दल, द्रमुक तथा अन्य दलों के मुद्दों पर आधारित समर्थन के कारण सत्ता में रही, लेकिन 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस ने पुनः प्रंचड़ बहुमत प्राप्त किया।

1975 में आपात काल के परिणाम स्वरुप 1977 के आम चुनावों में पहली बार केन्द्र में विरोधी दलों के द्वारा कांग्रेस को सत्ता से रोकने के लिये, जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन किया गया। जिसमें घटक दल– संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल, संयुक्त समाजवादी दल, चन्द्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस विरोधी–कांग्रेसी गुट तथा बाद में जगजीवन राम की 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' शामिल हुयी। 539 में से 270 सीट प्राप्त कर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का केन्द्र में गठन हुआ। परन्तु आन्तरिक मतभेदों तथा दिशाहीनता के चलते मोराजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार केवल 27 महीने ही शासन कर सकी। दलबदल के आधार पर 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह ने दलबदल व कांग्रेस 'इ' के समर्थक के आधार पर प्रधांनमंत्री का पद प्राप्त किया, परन्तु 20 अगस्त को संसद में विश्वास मत पर कांग्रेस 'इ' द्वारा समर्थन वापस लेने की स्थिति में अल्पमत की चरण सिंह सरकार ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी तथा पाँच महीने लोकसभा में बहुमत सिद्ध किये बिना प्रधानमंत्री बने रहे जिसे संसदीय इतिहास में एक संवैधानिक विसंगति ही कहा जाता है। दिसम्बर 1989 से अक्टूबर 1990 तक प्रधानमंत्री वी0पी0सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की संविदा सरकार भी अल्पमतीय थी जिसे मार्क्सवादी, तथा भाजपा जैसे परस्पर विरोधो ध्रुवों का समर्थन प्राप्त था, ऐसे में सरकार का गिरना निश्चित था और वही हुआ 11 महीने बाद भाजपा ने समर्थन वापस लिया और राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार धराशायी हो गयी। 10 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991 तक चन्द्रशेखर सरकार बाहर से समर्थन देने वाले दलों की अतिसूक्ष्मतीय तथा अल्पकालीन सरकार थी। जनता दल से अलग होकर संसद के 10 प्रतिशत सदस्यों का (54 सदस्यों) का नेतृत्व करने वाली चन्द्रशेखर सरकार को कांग्रेस (ई) तथा अन्य छोटे घटक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ तथा कांग्रेस (ई) से मतभेद के साथ 06 मार्च 1991 को चन्द्रशेखर सरकार ने त्याग पत्र दे दिया वी.पी.सिंह तथा चन्द्रशेखर की अल्मतीय सरकारों को मात्र सत्ता की लोलुप्ता तथा राजनैतिक अवसरवादिता के अतिरिक्त कुछ नही कहा जा सकता। राजनैतिक औचित्य तथा वैधता की कसौटी पर केवल इस प्रकार के गठबंन्धनों को केवल महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ नही कहा जा सकता इन्हें लोकतांत्रिक सरकारें कहना इसके मूल आधार को समाप्त

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-11* July- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

करने जैसा होगा। 19 मई 1996 में ग्यारहवीं लोकसभा में भाजपा एक सबसे बड़े दल के रुप में उभरी, 1 जून 1996 को वाजपेयी सरकार को सदन में बहुमत ना प्राप्त होने की स्थिति में पतन के उपरान्त एच.डी. देवगौड़ा की सरकार का कार्यकाल मात्र 10 महीने रहा पुनः गठबंन्धन को आगे बढ़ाते हुए इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1997 को कांग्रेस तथा मार्क्सवादी दल के बाहर से समर्थन के आधार पर गठित सरकार 19 मार्च 1998 तक ही अपना कार्यकाल पूरा कर पायी इस प्रकार नितान्त बेमेल वैचारिक व निषेधात्मक दृष्टिकोण पर आधारित ऐसी सरकारें दबाव में रहकर, कार्यरत् होते हुए शासन को कोई निश्चित दिशा नही दे पायी अतः इस काल में जिस प्रकार समर्थन देने और वापस लेने का दौर चला उसके केन्द्र में केवल मात्र सत्ता को प्राप्त करने की पराकाष्ठा रही। जिससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को धक्का लगा।

विभिन्न दलों द्वारा समर्थन की स्थिति (1999 से 2015 तक)

क्र.सं.	पार्टी	गठंबन्धन सरकार में अस्थिरता	वर्ष
1	1. ए.डी.एम.के (तमिलनाडु) 2. लोक शक्ति (बिहार)	इण्डियन नेशनल क्रांग्रेस के साथ में गठबंधन जनता दल युनाईटेड का चुनाव में समर्थन	1999
2	जे.के.नेशनल कान्फ्रेस (जम्मू कश्मीर)	राज्य सभा चुनाव मे हार के कारण के लिए बी.जे.पी. को दोषी ठहराया	2002
3.	समता पार्टी (बिहार)	जनता दल यूनिटिड के साथ में विलय	2003
4	1. डी.एम.के (तमिलनाडु) 2.हरियाणा विकास पार्टी 3. इण्डियन फैड्रल डेमोक्रेटिक	कांग्रेस पार्टी के साथ सन् के चुनाव में गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ के चुनाव में गठबंधन सन् 2004 के चुनाव में केरल कांग्रेस के साथ विलय	2004
5	तेलांगना राष्ट्रीय समिति, तेलांगना	तेलांगना राज्य गठन के सम्बन्ध में मतभेद	2006
6	1 .ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस (पं.बंगाल) 2. एम.डी.एम.के तमिलनाडु	चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ गंठबंधन ऑल इण्डिया ए.डी.एम.के पार्टी के साथ गंठबंधन	2007
7	1 .बी.एस.पी (राष्ट्रीय पार्टी) 2. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (राष्ट्रीय पार्टी)	उ.प्र. में कांग्रेस द्वारा बी.एस.पी. का विरोध भारत अमेरिका नाभकीय डील पर मतभेद	2008
8	1. पीप्लस डेमोक्रेटिव पार्टी (जम्मू एण्ड कश्मीर) 2. पी.एम.के (तमिलनाडु) 3 .इण्डियन नेशनल लोक दल (हरियाणा) 4. बीजू जनता दल (ओड़ीसा) 5. तेलांगना राष्ट्रीय समिति	कांग्रेस द्वारा नेशनल कान्फ्रेस को समर्थन दिये जाने के कारण पी.एम.के का ए.डी.एम.के के साथ विलय चुनाव से पूर्ण गठंबधन अलग होना एक माह पूर्व गठबंन्धन छोड़ना चुनावी हार के कारण गठबंन्धन छोड़ना	2009
9	1. जनता दल (सेकूलर कर्नाटक) 2 .एल.यू.टी.फ्रन्ट (जम्मू एण्ड कश्मीर)	गठबंन्धन छोड़ना बी.जे.पी. के साथ विलय	2010
10	1. उत्तराखंण्ड क्रान्तिदल (उत्तराखंण्ड) 2. राष्ट्रीय लोक दल(यू.पी) 3.झारखण्ड़ मुक्ति मोर्चा (झारखण्ड) 4. ऑल इण्डिया मसलीन इंतादुल मुसलीममीन (तेलांगना) 5. ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस (पं बंगाल) 6. झारंखण्ड विकास मोर्चा प्रजातान्त्रिक (झारंखण्ड)	राज्य– चुनावों से पूर्व समर्थन वापसी उ.प्र. के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गंठबंधन गठंबधन से समर्थन वापस कांग्रेस का राज्य में सम्प्रदायिक के लिये दोषी ठहराते हुये समर्थन वापस एफ.डी.आई पर विरोध के कारण समर्थन वापस लिया एफ.डी.आई पर विरोध	2012
11	1.जनता दल युनाईटेड (बिहार) 2. जनता पार्टी (तमिलनाडु)	13 जून को नरेन्द्र मोदी के प्रधांनमंत्री पद की उम्मीदवारी का विरोध बी.जे.पी. के साथ विलय	2013
12	1 .हरियाणा जनहित कांग्रेस 2. एम.डी.एम.के (तमिलनाडु) 3. नेशनल कांग्रेस पार्टी (महाराष्ट्र) 4.समाजवादी डोमोकेरोटिव पार्टी (केरला)	हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पूर्व गंठबंधन से समर्थन वापिस तमिलनाडु चुनाव के सम्बंध में मतभेद के आधार पर समर्थन वापस महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों में सीटों के बॅटवारे को लेकर समर्थन वापस 29 दिसम्बर 2014 को जनता दल के साथ विलय	2014
13	राष्ट्रीय जनता दल (बिहार)	एक नये राष्ट्रीय गठंबंधन का गठन	2015

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-11* July- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

गठबंन्धन तथा राजनैतिक अस्थिरता

लोकतन्त्र की सफलता का मुख्य आधार जनता की राजनैतिक जागरुकता तथा शिक्षा है और अपनी सकारात्मक सोच के कारण ही व्यक्ति संघों, समूहों तथा दलों का गठन करते है। लेकिन सत्तावादी राजनीति की ललक ने साम्प्रदायवाद, जातिवाद, पूँजीवाद, व्यवसायवाद तथा भाई–भतीजावाद को मजबूती देते हुये परस्पर विरोधी राजनैतिक दलों द्वारा गठबन्धन किये जाने के कारण अस्थिरता को जन्म दिया। वास्तव में संविधान निर्माताओं के द्वारा लोकतन्त्र के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की जो कल्पना की गयी थी, उन्हे व्यवहाारिक रुप प्रदान करने वाली सरकारों के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न समय–समय पर परिवर्तन तथा राजनैतिक स्थितियों में होने वाले गठबन्धनों को रेखांकित करते है। यहॉ यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक दूसरे की कारगुजारी, वैचारिक मतभिन्नता को जानते हुये भी गठबन्धन क्यों करते है। क्योकि अभी तक जितनी भी बार मिली–जुली सरकारों का गठन हुआ वह खण्डित जनादेश पर आधारित राजनैतिक परिस्थितियों तथा विवशताओं का परिणाम रहा, जिसने सरकारों की वैधता तथा औचित्यपूर्णता को आघात पहुॅचाया। अहंकारी नेतृत्व के कारण प्रधानमंत्री व उपप्रधानमंत्री अन्य घटक दल के नेताओं के बीच शह और मात का अन्दरुनी खेल चलता रहा तथा बाहर से एक गठबंन्धन का दिखावा होता रहा, जिसके कारण व अपने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन करने में नाकामयाब रहे। यही कारण है इन सरकारों का कार्यकाल 28 माह से 13 दिन तक रहा। वस्तु स्थिति यह रही कि यह सरकारें नितान्त व्यक्तिगत हितों की सिद्वि हेतु प्रयत्नशील रही, जिसके कारण जनकल्याण एंव जनअपेक्षायें नैपथ्य में चली गयी। स्वार्थ पूर्ति की लालसा चरम सीमा पर पायी गयी किसी भी परिस्थिति में यदि इसमें अवरोध उत्पन्न हुआ तो तुरन्त गठबंन्धन धर्म को तोड़कर पुनः जनता को अस्थिरता एवम् राजनैतिक स्वाथपूर्ण गठजोड़ की राह में धकेल दिया गया। गठबन्धन जब कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति में दलबदल की प्रवृति के कारण आया राम तथा गया राम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यवस्था में स्वार्थ, अराजकता का बोलबाला स्थापित हो जाता है जो विकास की गति में शून्यता का प्रतीक बन जाता है।

गठबन्धन की सरकारों का कार्यकाल (1779 से 1998 तक)

क्र.सं.	दल	प्रधांनमत्री	कार्य–काल से अवधि तक	कार्यकाल की अवधि	समर्थन देने वाले घटको की संख्या
1.	जनता पार्टी	श्री मोरराजी देसाई	24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक	857 दिन	11
2	जनता पार्टी, सेकुलर	चौ0 चरण सिंह	28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक	170 दिन	1
3	जनता दल	श्री वी.पी.सिंह	02 दिसम्बर 1989 से 10 नवम्बर 1990	343 दिन	12
4.	समाजवादी जनता पार्टी	श्री चन्द्रशेखर	10 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991	223 दिन	15
5	भारतीय जनता पार्टी	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	16 मई 1996 से 01 जून 1996	16 दिन	6
6	जनता दल	श्री एच.डी.देव गौड़ा	01 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997	324 दिन	12
7	जनता दल	श्री इंद्र कुमार गुजराल	21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998	332 दिन	12

गठबंन्धन सरकारें तथा सुझाव

जब भी कोई नई व्यवस्था विचारधारा अथवा स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत ही स्वाभाविक हैं कि जनमानस में तरह–तरह की आशंका एवं वैचारिक विविधता जन्म लेगी, जिसमें स्पष्टता लाने के लिये राजनैतिक विद्वानों, व्याखयाकारों को गहन विचार विमर्श करने तथा ऐसे रचनात्मक उपाय सुझाने की आवश्यकता है जिसमें उन्हे एक सही दिशा प्रदान की जा सके, क्योकि 1967 के उपरान्त समय–समय पर गठबन्धन का स्वरुप अवश्य बदलता रहा हैं लेकिन आज भी किसी न किसी रुप में गठबन्धन के अस्तित्व को परिभाषित, एंव परिलक्षित किया जा सकता हैं। इसका मुख्य कारण था कि एक लम्बे समय तक कांग्रेस की राजनैतिक शून्यता का लाभ उठा पाने में विभिन्न राजनैतिक दल असमर्थ रहे और इसी कारण गठबंन्धन को बल मिलता रहा। वर्तमान में भाजपा के विस्तार व सफलता को देखते हुए ऐसा लगता है कि सम्भवतया श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पुनः एक दल द्वारा नियन्त्रित बहुदलीय व्यवस्था की ओर देश गतिमान हैं। वर्तमान राजनैतिक परिवेश में कुछ प्रश्न भारतीय लोकतन्त्र को सोचने के लिए मजूबर करते है। कि क्या कभी राजनीति में स्वान्त सुखाय के स्थान पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना जायेगा? क्या कभी ऐसी आचार संहिता विकसित होगी जिसमे विकृत मानसिकता वाली सोच के स्थान पर स्वस्थ्य मानसिकता का विकास हो सके। अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह न करने पर जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने तथा पुनः जनादेश प्राप्त करने की व्यवस्था का विकास सम्भव हैं। आज सभी राजनैतिक दलों की में जो कथनी और करनी में जो अन्तर पाया जाता हैं, उसे समाप्त कर जवाबदेही निश्चित करने के लिये जागरुक एवं शिक्षित जनमत की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वास्तविक प्रजातन्त्र एवं लोक कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व तथा उसकी समस्याओं की विवेचना तथा तदनुरुप उसका समाधान होना अति आवश्यक है। यही विभिन्न विकल्पों पर विचार एवम् मंथन को जन्म देता है। अन्तिम निष्कर्ष निकालना अथवा कुछ कह पाना संम्भव नही है इस सन्दर्भ में सुझाव दिये जा सकते है तथा अनुमान लगाये जा सकते है। आज का एक बुद्विजीवी वर्ग जो भारत में अमेरिका तथा इग्लैण्ड़ के समान दलीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावशाली सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनो देखना चाहते है। क्या वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा सम्भव है? क्योंकि एक स्वस्थ्य लोकतंत्र में दोनो की ही भूमिका अति महत्वपूर्ण है परन्तु आई.सी.एस.एस.आर, इण्डिया टूडे (31 अगस्त 1996) के, सर्वे के अनुसार भारतीय जनमत विशेष रुप से मिली–जुली सरकार के पक्ष में नही है वह एक स्थिर व स्थायी सरकार चाहता है यद्यपि 12 वीं लोकसभा के चुनावों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राजनैतिक शक्तियों का तीन गठबन्धनों में ध्रुवीकरण हो गया था (1) भाजपा तथा सहयोगी दल (2)कांग्रेस तथा सहयोगी दल (3) युनाईटेड फ्रंट, परन्तु धीरे धीरे सभी प्रकार के गठबंन्धन निहित स्वार्थों, सत्ता के आकर्षण एवम् उच्च नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं की भेट चढ़ गये, और पृथक होते रहे, समर्थन देने व वापस लेने की भंवर जाल में ही फंस कर रह गये और आज पुनः वें कांग्रेस के एकाधिकार की व्यवस्था को 'कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हुए' भाजपा द्वारा स्वंय का एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश, इस ओर संकेत करती है कि संसदीय लोकतन्त्र के मध्य काल में उतार चढ़ाव के उपरान्त आज पुनः एक दल द्वारा नियन्त्रित बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास जारी है। लेकिन विरोधी दल महागठबन्धन बनाकर उपरोक्त स्थिति को रोकने के लिये पूर्ण प्रयासरत् है। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में भी गठंबन्धन के अस्तित्व को पूर्ण रुप से नकारा नही जा सकता क्योकि एन.डी.ए तथा यू.पी.ए दोनो ही विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करतें है। तत्कालीन वर्तमान परिस्थितियों में विकास मुख्य मुद्दा है उसके लिए निर्विवाद रुप से एक संगठित व स्थायी सरकार की आवश्यकता से इन्कार नही किया जा सकता उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीयत, नीति तथा मानसिकता में बदलाव के साथ–साथ दृढ़ प्रबल राजनैतिक इच्छा शक्ति, आवश्यकता नीति तथा मानसिकता की स्वच्छता की आवश्यकता है। इसके लिए अपनी राजनैतिक परिस्थिति एंवम् संस्कृति के अनुरुप ही एक ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जो एक स्थिर राजनीति व्यवस्था के आधार पर विकास को गति को प्राप्त करने में समर्थ हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *छबरा, एच.के. (1977), "स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया," सुरजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली*
2. *गुप्ता, डी.सी. (1972), "इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स" विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली*
3. *गहलौत एन.एस. (2004) "भारतीय राजनैतिक व्यवस्थाः दशा एंव दिशा : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर व नई दिल्ली*
4. *जोशी, आर.पी. व आढ़ा, आर.एस. (सं) (2000) "भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः पुनरर्चना के विविध आयाम" रावत पब्लिशेन्स, जयपुर*
5. *कुमार, अरुण, (1998) 'ऑन कॉएलिशन कोर्स', ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली*
6. *खन्ना, एस.के. (1998) "रिफोर्मिंग इण्डियन पॉलिटिकल सिस्टम", कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली*
7. *मिश्र, (1976), कृष्णकान्त, "भारत की राजनीतिक प्रणाली", दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया, नई . दिल्ली*
8. *http:\en.wikipedia.org*
9. *http:\en.wikipedia.org/wiki/National_Democratic_Alliance_(india)*
10. *http:\en.wikipedia.org/wiki/United_Progressive_Alliace*
11. *https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_India*